XI-HC-78

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील क्रमांक 121/2006

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अंतर्गत प्रथम अपील

अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.), जिला कार्यालय, दुर्ग।

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सालय परिसर, दुर्ग, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छ.ग.), द्वारा प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी/वादी - श्रीमती मंजू बाई, आयु लगभग 30 वर्ष, पति—सुरेश चंद्राकर, जाति—कुर्मी, व्यवसाय—गृहिणी, निवासी—ग्राम कावंडूर, डाकघर कावंडूर, तहसील गुंडरदेही, थाना गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छ.ग.)

अपील में दावा क्षतिपूर्ति की डिक्री को अपास्त करने हेतु।

<u>11.01.2007</u>

श्री वी.डी. वासवानी, शासकीय अधिवक्ता राज्य/अपीलार्थीगण की ओर से ।

श्री आर.के. गुमास्ता, अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से ।

सुना गया.

यह अपील दिनांक 30.12.2005 को द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 98/2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/वादी को 67,000/-रुपये का क्षतिपूर्ति, निर्णय की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित प्रदान की गई, जो कि दिनांक 28.02.1998 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुंडरदेही में किए गए नसबंदी ऑपरेशन की असफलता के कारण दी गई थी। मैंने वादपत्र का अवलोकन किया है। नसबंदी ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक की उपेक्षा न तो अभिवाक की गई है और न ही सिद्ध की गई है। *पंजाब राज्य बनाम शिव राम एवं अन्य,* (2005) 7 एससीसी 1 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है

> "केवल इस कारण कि नसबंदी ऑपरेशन करवाने के बाद भी किसी महिला को गर्भधारण हो गया और उसने बच्चे को जन्म दिया, इससे ऑपरेशन करने वाले सर्जन या उसके नियोक्ता को अवांछित गर्भधारण या अवांछित संतान के लिए क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे मामलों में हानि-निवारण का दावा तभी स्वीकार किया जा सकता है जब यह सिद्ध हो कि सर्जन द्वारा ऑपरेशन करने में उपेक्षा हुई थी, न कि मात्र बच्चे के जन्म के आधार पर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपेक्षा का प्रमाण बोलम परीक्षण (1957) 2 ऑल ई.आर. 118, 121 D-F जैसा कि *जैकब मैथ्यू* प्रकरण, (2005) 6 एससीसी 1, पृष्ठ 19, कंडिका 19 में प्रतिपादित है, के अनुसार होना चाहिए। प्राकृतिक कारणों से हुई असफलता दावा करने का आधार नहीं बनती। यह महिला पर निर्भर है कि गर्भधारण होने पर वह गर्भपात कराए या नहीं। यदि नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद गर्भधारण की जानकारी होने के बाद दंपति बच्चे को जन्म देने का निर्णय लेते हैं, तो वह संतान 'अवांछित' नहीं मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में उस बच्चे के पालन-पोषण हेतु क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सकता। जैसे ही महिला का मासिक धर्म चक्र रुकता है, अपेक्षित है कि दंपति चिकित्सक से परामर्श लें। *मेडिकल*

टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम, 1971 की धारा 3(2) सहपठित स्पष्टीकरण-II के अनुसार, गर्भसमापन के लिए विधि द्वारा वैध आधार उपलब्ध है। यदि महिला को अवांछित गर्भधारण हुआ है, तो उसे समाप्त किया जा सकता है, और यह उक्त अधिनियम के अंतर्गत वैध एवं अनुमेय है।

XXX XXX XXX XXX

इसी प्रकार, सर्जन को संविदा के आधार पर भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि वादी यह आरोपित एवं सिद्ध न करे कि सर्जन ने शल्यक्रिया के पश्चात 100% गर्भधारण न होने का आश्वासन दिया था और उसी आश्वासन के आधार पर वादी को ऑपरेशन कराने के लिए प्रेरित किया गया था। सामान्यतः कोई सर्जन ऐसा पूर्ण आश्वासन नहीं देता। जहाँ कोई चिकित्सक किसी रोगी पर विशेष शल्यक्रिया करने के लिए संविदाबद्ध होता है और एक विशेष परिणाम की अपेक्षा की जाती है, वहाँ न्यायालय चिकित्सक और रोगी के मध्य हुए संविदा में यह निहित शर्त मानता है कि शल्यक्रिया यथोचित सावधानी एवं कौशल के साथ की जाएगी, किन्तु न्यायालय इस बात को मानने में संकोच करेगा कि कोई ऐसी स्पष्ट अथवा बिना शर्त गारंटी दी गई थी कि अपेक्षित परिणाम अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह संभव नहीं है कि कोई उत्तरदायी चिकित्सक ऐसी गारंटी देने का आशय रखे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वादियों ने यह आरोप नहीं लगाया है कि नसबंदी ऑपरेशन करने वाली महिला सर्जन इस शल्यक्रिया को करने के लिए सक्षम नहीं थी और फिर भी उसने इसे किया। न तो यह वादियों का मामला है और न ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है कि उक्त सर्जन ने शल्यक्रिया करते समय उपेक्षा बरती। यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें शल्यक्रिया करने वाली सर्जन ने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया हो। शल्यक्रिया एक ऐसी विधि से की गई थी जो चिकित्सा विज्ञान में ज्ञात एवं मान्य है। यह मात्र एक ऐसा मामला है जिसमें विधिवत किए जाने के बावजूद नसबंदी ऑपरेशन असफल हो गया।

विचारण न्यायालय ने केवल इसी आधार पर वादी-प्रत्यर्थियों के पक्ष में क्षतिपूर्ति की डिक्री पारित कर दी। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया जिससे ऑपरेशन करने वाले सर्जन या उसके नियोक्ता राज्य को, चाहे संविदा के आधार पर या हानि-निवारण के आधार पर, क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। विचारण न्यायालय द्वारा की गई इस त्रुटि की ओर प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किए जाने के बावजूद उसे अनदेखा कर दिया गया। अतः यह अपील स्वीकार की जानी चाहिए और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाना आवश्यक है।"

व्यवहार वाद क्रमांक 9ख/2004 के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा डॉ. सी.बी. प्रसाद (ब.सा.-1), जिन्होंने प्रत्यर्थी/वादी का नसबंदी ऑपरेशन किया था, का भी परीक्षण किया गया। इससे यह तथ्य सामने आता है कि प्रत्यर्थी/वादी को नसबंदी ऑपरेशन के पश्चात 3 माह तक अपने पति से सहवास से परहेज करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि नसबंदी असफल होने की संभावना रहती है। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि नसबंदी के तुरंत पश्चात गर्भधारण होने पर प्रत्यर्थी/वादी ने, जो कि विधि द्वारा अनुमत था, गर्भसमापन कराया हो। अतः प्रत्यर्थी/वादी से उत्पन्न संतान को अवांछित संतान नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *पंजाब राज्य बनाम शिव राम एवं अन्य* (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, ऑपरेशन करने वाले सर्जन की उपेक्षा के संबंध में न तो कोई अभिवचन है और न ही उसका कोई प्रमाण, अतः हानि-निवारण के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से, आक्षेपित निर्णय विधि के अनुसार संधारणीय नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। व्यवहार वाद क्रमांक 98/2004 में दिनांक 30.12.2005 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अपास्त की जाती है। वाद खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

XI-HC-78

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur